B.A. (Hons) Part II
Philosophy Paper III
Topic Nature of Moral Judgement
Dr. Sachidanand Prasad.
Dept. of. Philosophy.
R.R.S. College, Mokama.

नैतिक निर्णय का अर्थ होता है किसी मनुष्य का ऐच्छिक कर्म उचित है या अनुचित, शुभ है या अशुभ इसे आँकना। दूसरे शब्दों मे हम कह सकते हैं कि ऐसे कर्मों की किसी नैतिक मापदण्ड से तुलना कर उनमें औचित्य या अनौचित्य का पता लगाना। इसप्रकार हमलोग यह कह सकते हैं कि नैतिक निर्णय वैसी क्रिया है जिसमें मनुष्य के ऐच्छिक कर्मों की किसी मापदण्ड से तुलना करके इसका मूल्यांकन करते हैं। इसप्रकार हमलोग यह देखते हैं कि निम्नलिखित बातें नैतिक निर्णय के लिए जरूरी है।

① एक नैतिक निर्णय करनेवाला व्यक्ति:- यों तो मनुष्य की क्रियाएं चलती रहती है लेकिन यदि कोई उसका निर्णय करनेवाला नहीं हो तो नैतिक निर्णय नहीं हो सकता है।

② ऐच्छिक कर्म:- नैतिक निर्णय के लिए ऐच्छिक कर्मों का होना जरूरी है।

③ कोई मापदण्ड :- नैतिक ~~कार्य~~ निर्णय के लिए किसी आदर्श का होना जरुरी है क्योंकि यदि कोई आदर्श नही होगा तो फिर ऐच्छिक कर्मों का मूल्यांकन कैसे होगा।

④ निर्णय शक्ति :- नैतिक निर्णय करनेवाले व्यक्ति को विवेकशील होना जरुरी है क्योंकि उसमें निर्णय करने की शक्ति होनी चाहिए।

इसप्रकार यह स्पष्ट होता है कि नैतिक निर्णय एक प्रकार का निर्णय है। निर्णय भी दो प्रकार का होता है। पहला यथार्थ विषयक निर्णय और दूसरा मूल्य-विषयक निर्णय। पहला यह बतलाता है कि कोई वस्तु क्या है, कैसी है इत्यादि और दूसरा यह बतलाता है कि इसे क्या होना चाहिए। इसप्रकार पहला वर्णनात्मक होता है और दूसरा समालोचनात्मक होता है। नैतिक निर्णय आदर्शनिदेशक, नियामक तथा व्यवहारिक है। फिर नैतिक निर्णय अनुमान्यजन्य होता है। इसमें किसी विशेष व्यक्ति के कर्म का किसी मापदण्ड से तुलना करके यह देखा जाता है कि उसका कर्म उस मापदण्ड के अनुसार है या नहीं। अनुमान की क्रिया भी ऐसी ही होती है। फिर नैतिक निर्णय बौद्धिक होता है क्योंकि इसमें किसी मापदण्ड की दृष्टि से कर्म विशेष मे नैतिक गुणों का भाव या अभाव देखा जाता है।